कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय शाहजहांपुर।

नीलामी सूचना / विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद के पत्र संख्या 392 / इफा0 सेल दिनांकित 09.03. 2016 तथा पत्र संख्या 819 / इफा0 सेल दिनांकित 17.05. 2016 के अनुपालन में दीवानी न्यायालय परिसर, शाहजहांपुर में फायर फाईटिंग की स्थापना हेतु 6 न्यायालय कक्षों के भवन के पास बने निष्प्रयोज्य पुरूष / महिला प्रसाधन गृह के भवन को तोडने के उपरान्त उसके मलवे की नीलामी की जानी है। नीलामी दिनांक 02.06.2016 को समय 4:00 बजे जनपद न्यायालय शाहजहांपुर के नजारत कार्यालय के बरामदे में सम्पन्न होगी।

उक्त मलवे की न्यूनतम राशि जो कि लोक निर्माण विभाग शाहजहांपुर द्वारा तोडने के खर्चे रूपये 13579.66 को कम करते हुये रूपया 57058.00 निर्धारित की गई है।

सम्बन्धित व्यक्ति उपरोक्त निष्प्रयोज्य भवन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से 4:00 बजे सायं तक उक्त स्थल पर जाकर कर सकते है।

नीलामी हेतु नियम व शर्ते निम्नवत है:-

1. प्रत्येक बोली कर्ता को बोली से पूर्व अपना फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. बोली में शामिल होने से पूर्व सम्बन्धित भवन का भली भॉति निरीक्षण कर लें।
3. प्रत्येक बोली कर्ता को नीलामी के समय रूपये 5000.00 की धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी एवं अधिकतम बोली कर्ता की धरोहर राशि को छोड कर शेष बोली कर्ताओं की धरोहर राशि नीलामी पूर्ण होनें के वाद वापस होगी
4. यदि भवन को तोडते समय कोई पुरातत्व महत्व की अथवा खजाना / दुलर्भ बस्तुये प्राप्त होती है तो इसकी सूचना तत्काल विभाग को देनी होगी तथा ऐसी समस्त सम्पत्तियो पर न्याय विभाग का अधिकार होगा।
5. भवन को तोडने का कार्य प्रातः 10:00 बजे सायं 5:00 बजे तक ही किया जा सकेगा।
6. भवन तोडते समय कोई श्रमिक, कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तियो की दुर्घटना होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोली कर्ता की होगी।
7. भवन को तोडते समय सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
8. किसी भी उच्चतम बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश शाहजहांपुर के पास सुरक्षित है।
9. बोली स्वीकृत होने के उपरान्त सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा करनी होगी एवं नीलामी के वावत अनुबन्ध पत्र निर्धारित स्टाम्प पर निस्पादित करना होगा।
10. अपूर्ण एवं गलत सूचना प्रस्तुत करने पर बोली को निरस्त किया जा सकता है।

दिनांकः--25.05.2016

25/5/16

गोपाल उपाध्याय
अध्यक्ष
नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शाहजहांपर।

प्रतिलिपि सेवा में,

1. श्रीमान ओ0 एस0 डी0 कम्प्यूटर माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद को माननीय न्यायालय की वेवसाईट पर सूचना को प्रदर्शित कराये जाने के अनुरोध सहित।

2. कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

3. सिस्टम आफीसर जनपद न्यायालय शाहजहांपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे जनपद न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड करे।

4. कार्यालय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद शाहजहांपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

5. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0 नि0 वि0 शाहजहांपुर कों नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

6. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नि0 खण्ड लो0 नि0 वि0 शाहजहांपुर कों नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

7. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण शाहजहांपुर कों नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

8. अमीन सिविल कोर्ट को तुरन्त मुनादी एवं विस्तृत प्रचार प्रसार कराने हेतु।

9. केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय शाहजहांपुर को सभी दृश्यमान स्थानों पर चस्पा कराने हेतु।

10. वाह्य न्यायालय शाहजहांपुर के सभी नोटिस वोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

11. जिला सूचना अधिकारी शाहजहांपुर को समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु।

12. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी शाहजहांपुर को शाहजहांपुर की बेवासाईट पर अपलोड कराने हेतु।

दिनांकः—25.05.2016

गोपाल उपाध्याय
अध्यक्ष 25/5/16
नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शाहजहांपुर।